AS

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः— उज्ज्वल राठौड़ , I.A.S.

प्रकरण संख्या —74 / 2019 (अपील)

GCMS No.- 2019/00219

भूपेन्द्र सिंह आत्मज श्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हाथीखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. नृसिंह आत्मज स्व. श्री आनन्द सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हाथीखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. जोधराज सिंह आत्मज स्व. श्री आनन्द सिंह जाति राजपूत निवसी ग्राम हाथीखेडा, तहसील लाडपुरा
3. श्रीमति धापू बाई पुत्री स्व. श्री आनन्द सिंह जी पत्नि श्री संग्राम सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कांकडदा तहसील किशनगंज जिला बारां
4. श्रीमति लाडकंवर बाई पुत्री स्व. श्री आनन्द सिंह जी पत्नि श्री युद्वराज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आसन का खरखडा तहसील अटरू जिला बारां
5. नन्द सिंह जी आत्मज स्व. श्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आकोदिया, तहसील खानपुर जिला झालावाड
6. श्याम सिंह आत्मज स्व. श्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0
7. महावीर सिंह आत्मज स्व. श्री मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड
8. इन्द्र सिंह आत्मज स्व. श्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आकोदिया, तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0
9. श्रीमति लक्ष्मी कंवर पुत्री स्व. श्री मोहन सिंह पत्नि श्री श्योराज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुलखंडी तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)
10. राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या —183 दिनांक 14.10.2008 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा

उपस्थितः—

1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक रेस्पो0 नं0 1 व 2
3. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक रेस्पो0 नं0 5 लगायत 9

जिला कलेक्टर
कोटा

(A6)

निर्णय

दिनांक– 07.09.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा ग्राम हाथीखेड़ा पटवार हल्का नयानोहरा में खातेदार आनन्द सिंह आत्मज स्व. श्री करण सिंह जाति राजपूत के फौती नामान्तकरण संख्या 183 आदेश दिनांक 14.10.2008 पटवारी रिपोर्ट एवं सजरा अनुसार स्वीकृत किया गया ।

2. उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.08.2019 को पेश की गई है कि खातेदार आनन्द सिंह आत्मज स्व. करण सिंह के नाम ग्राम हाथीखेडा तहसील लाडपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 26 की रकबा 0.03 हे0, खसरा नम्बर 27 की 0.40 हे0, खसरा नम्बर 32/329 की रकबा 0.30 हे0 खसरा नम्बर 39 की रकबा 1.16 हे0 खसरा नम्बर 115 की रकबा 0.05 हे0, खसरा नम्बर 123 की रकबा 0.28 हे0, खसरा नम्बर 125 की 0.23 हे0, खसरा नम्बर 220 की रकबा 1.23 हे0 कुल 8 किता की 3.68 हे0 की खातेदारी चली आ रही थी, उक्त खतेदार का स्वर्गवास होने पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा फौती इन्तकाल संख्या 183 दिनांक 14.10.2008 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है । आनन्द सिंह जी के दौ पुत्र नृसिंह एवं जोधराज सिंह, तीन पुत्रियां भंवरबाई, धापू बाई एवं लाड कंवर तथा पत्नि उम्मेद कंवर थी । आनन्द सिंह जी की पत्नि श्रीमति उम्मेदकंवर एवं उनकी एक पुत्री श्रीमति भंवर बाई का स्वर्गवास आनन्द सिंह जी के जीवनकालमें ही हो गया था । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स क्रम–5 लगायत 9 आनन्द सिंह जी की मृतक पुत्री भंवर बाई एवं पुत्रियां (Predeceased daughters Son and daughters) इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर किये बिना ही तथा आनन्द सिंह जी की मृतक पुत्री भंवर बाई के वारिसान के सम्बन्ध में जांच किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण जैर अपील तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है । उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स क्रम–5 लगायत 9 आनन्द सिंह जी की मृतक पुत्री श्रीमति भंवरबाई के पुत्र एवं पुत्रियां होने से स्व. श्री आनन्द सिंह जी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण जैर अपील अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है । इस कारण हुक्म जैर नामान्तकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । नामान्तकरण जैर अपील की सर्व प्रथम जानकारी वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 9.7.2019 को प्राप्त करने पर एवं उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि रेस्पो0 नम्बर 2 जोधराज सिंह के खाते में दर्ज होने पर हुई । जिस पर नामान्तकरण सं0 183 एवं 189 का अंकन देखने पर हुई । प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.7.2019 से नामान्तकरण जैर अपील की प्रमाणित प्रति प्राप्ति दिनांक 16.7.2019 तक के दिन मुजरा करने पर सर्वप्रथम जानकारी की तारीख से अवधि मध्य प्रस्तुत है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

(A7)

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलबी हेतु नोटिस तलब किये गये । रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री उत्तमचन्द खण्डेलवाल का वकालतनामा पेश हुआ । रेस्पो0 नम्बर 5 लगायत 9 की ओर से श्री तेजमल जैन एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ । रेस्पो0 नम्बर 3 व 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की जाकर उपस्थित वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि कि खातेदार आनन्द सिंह आत्मज स्व. करण सिंह के फौत होने पर ग्राम हाथींखेडा तहसील लाडपुरा में स्थित भूमि भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा फौती इन्तकाल संख्या 183 दिनांक 14.10.2008 को स्वीकृत किया गया जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है । आनन्द सिंह जी के दौ पुत्र नृसिंह एवं जोधराज सिंह, तीन पुत्रियां भंवरबाई, धापू बाई एवं लाड कंवर तथा पत्नि उम्मेद कंवर थी । आनन्द सिंह जी की पत्नि श्रीमति उम्मेदकंवर एवं उनकी एक पुत्री श्रीमति भंवर बाई का स्वर्गवास आनन्द सिंह जी के जीवनकालमें ही हो गया था । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स क्रम–5 लगायत 9 आनन्द सिंह जी की मृतक पुत्री भंवर बाई एवं पुत्रियां (Predeceased daughters Son and daughters) इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर किये बिना ही तथा आनन्द सिंह जी की मृतक पुत्री भंवर बाई के वारिसान के सम्बन्ध में जांच किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण जैर अपील तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है । उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स क्रम–5 लगायत 9 आनन्द सिंह जी की मृतक पुत्री श्रीमति भंवरीबाई के पुत्र एवं पुत्रियां होने से स्व. श्री आनन्द सिंह जी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामा0 सं0 183 दिनांक 14.10.2008 निरस्त फरमाया जावें तथा आनन्द सिंह जी का फौती इन्तकाल अपीलान्ट एवं रेस्पो0 नं0 1 लगायत 9 के पक्ष में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें । वकील अपीलान्ट द्वारा Hindu Succession Act 1956 की प्रतियां न्यायिक दृष्टान्त RBJ 1998 पेज 43, RRD 1982,RRD1990, पेश की गई ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में मुख्यरूप से कथन किया है कि अपील अपील मियाद बाहर है । खातेदार को फौत हुए 12 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने पर अब उक्त नामान्तकरण की जानकारी होने बाबत उचित कारण अंकित नहीं किये गये है । प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से तथा विलम्ब से पेश करने के उचित कारण नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है । खातेदार आनन्द सिंह की पुत्री उनके जीवनकाल में ही फौत हो चुकी है तथा आनन्द सिंह के फौती इन्तकाल को भी 12 वर्ष पश्चात व्यतीत हो जाने उपरान्त उक्त नामान्तकरण को चुनोती देने का अधिकार नहीं है । प्रस्तुत अपील मियाद के अन्दर नहीं होने तथा मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए उचित कारण नहीं होने से अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य होने से अपील

जिला कलेक्टर
कोटा

(A8)

अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज फरमाई जावें । वकील रेस्पो0 द्वारा मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त RRT 2015 (1)232 ,RRT 2015(1) 265, RRD-14.11.2013 पेज 788 पेश किये ।

6. हमने वकील अपीलाट की बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । यह अपील नामा0 सं0 189 दिनांक 14.10.2008 के विरूद्ध दिनांक 06.08.2019 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं धारा 96 एवं धारा 151 सीपीसी के साथ पेश की गई है । उक्त नामा0 की प्रथम जानकारी दिनांक 09.07.2019 को आनन्दसिंह जी के खाते की नकल निकलवाने पर होना बताया है जबकि आनन्द सिंह जी को फौत हुए 12 वर्ष से भी अधिक समय होना जाहिर होता है । प्रस्तुत अपील 12 वर्ष से भी अधिक समय बाद पेश की जाने से तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करने के ठोस आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं होने से लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित नहीं समझते है तथा अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दु पर खारिज किया जाना उचित समझते है ।

7. **परिणामतः अपील अपीलांट 12 वर्ष पश्चात पेश करने से मियाद बाहर है तथा पत्रावली पर अपील को अन्दर मियाद स्वीकार करने के ठोस आधार उपलब्ध नही होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।**

8. निर्णय आज दिनांक 07.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

2/7/21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा